

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :- 3/अ०प्र०-1-405/2013 381

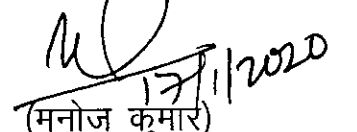
/पटना, दिनांक :- 21.1.2020

श्री रजनी कान्त चौधरी, तदेन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता यथा (1) अवर प्रमंडलीय भण्डार का भौतिक सत्यापन नहीं किये जाने, (2) अवर प्रमंडलीय लेखा के विधिवत संधारण नहीं किये जाने, (3) मासिक लेखा प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रु० 5,38,81,590/-मूल्य के अलकतरे की आपूर्ति संबंधी महालेखाकार के डेबिट ज्ञापों को लेखांकित नहीं किये जाने व उक्त राशि का वित्तीय अनियमितता किये जाने, (4) 976.334 मिट्टीक टन अलकतरा का स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक व्यय दिखाकर रु० 53,69,837/-की सरकारी राशि का गबन किये जाने, (5) अर्द्धवार्षिक लेखा प्रमंडलीय पदाधिकारी के समक्ष ससमय प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं (6) अपने अधीनस्त अनुभागीय पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण नहीं किये जाने के आरोप में संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अधिसूचना ज्ञापांक-2353 दिनांक 19.08.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(क) के तहत पेंशन से अगले पाँच वर्षों तक 10 प्रतिशत की मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. श्री चौधरी के पत्रांक 1 कैम्प, पटना दिनांक 22.10.2019 द्वारा उक्त दंडादेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया। श्री चौधरी के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर उक्त दंडादेश पर पुनर्विचार किया जा सके।

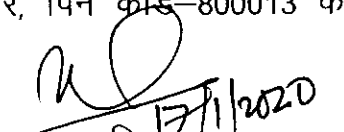
अतः उक्त के आलोक में श्री रजनी कान्त चौधरी, तदेन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के पत्रांक 1 कैम्प, पटना दिनांक 22.10.2019 द्वारा विभाग को समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ०प्र०-1-405/2013 382 /पटना, दिनांक :- 21.1.2020

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर/उप सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव (लेखा प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री रजनी कान्त चौधरी, तदेन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। पत्राचार का पता-पलैट संख्या-208, शिवानील अपार्टमेंट, कस्तुराबा पथ, नौर्थ एस०के० पुरी, पटना, बिहार, पिन कोड-800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-405/2013 382 /पटना, दिनांक :- 21-1-2020
प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव
13/1/2020

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-405/2013 382 /पटना, दिनांक :- 21-1-2020
प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।


उप सचिव
13/1/2020